

फार्म 'ए'

जानकारी मांगने के लिए आवेदन पत्र (नियम 3 देखें)

सेवा

जन सूचना अधिकारी,
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का कार्यालय,
मेघालय, शिलांग।

1. आवेदक का नाम _____

2. पता _____

3. जानकारी मांगी गई :-

(मांगी गई जानकारी का संक्षिप्त शीर्षक एक पंक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए)

(विवरण में मांगी गई प्रत्येक जानकारी के लिए अलग-अलग पैरा शामिल होना चाहिए)

4. मैं बताता हूँ कि मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8 और 9 में शामिल प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आती है और मेरी जानकारी के अनुसार यह आपके कार्यालय से संबंधित है।

5. यह प्रमाणित करना है कि _____ का _____ पुत्र / पुत्री / पत्नी भारत का नागरिक है।

6. बैंक के चेक नंबर / बैंक ड्राफ्ट नं / भारतीय पोस्टल आर्डर नंबर _____ में @ रुपये _____ दिनांक _____ का शुल्क, जो _____ बैंक में आहारित है, जमा कर दी गई है।

(गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा)

दिनांक:

स्थान:

सूचना का अधिकार अधिनियम

आवेदक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नंबर (कार्यालय)

(निवास):

डाक पता :

सूचना का अधिकार अधिनियम

आवेदन और शुल्क के लिए रसीद की व्यवस्था

इस कार्यालय के रिसेप्शन काउंटर / डीएजी सेल में आवेदन और शुल्क प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। आवेदक प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित शुल्क भी जमा कर सकता है।

अपील और अपीलीय प्राधिकारी आदि, यदि कोई हो

जन सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील आरटीआई की धारा 19 (1), अधिनियम 2005 के अनुसार की जा सकती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के कार्यालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी है, मेघालय शिलांग में स्थित मेघालय।

सूचना अधिनियम के अधिकार के तहत आवश्यकताएँ

	संदर्भ	उपलब्ध जानकारी
संगठनात्मक	अध्याय II, 4.1 (ख) (i)	हमारे बारे में
कर्तव्य	अध्याय II, 4.1 (ख) (ii)	डीपीसी अधिनियम, लेखा परीक्षा कार्य
निर्णय लेने की प्रक्रिया	अध्याय II, 4.1 (ख) (iii)	स्थायी आदेश के मैनुअल
मानदंड	अध्याय II, 4.1 (ख) (iv)	मानदंड और मानक
मैनुअल	अध्याय II, 4.1 (ख) (v)	मैनुअल की सूची
रखे गए दस्तावेज	अध्याय II, 4.1 (ख) (vi)	रखे गए दस्तावेज
परामर्श की व्यवस्था	अध्याय II, 4.1 (ख) (vii)	लागू नहीं
बोर्ड / समितियाँ	अध्याय II, 4.1 (ख) (viii)	एजी के तहत समितियों की सूची
निर्देशिका	अध्याय II, 4.1 (ख) (ix)	संपर्क करें
वेतनमान	अध्याय II, 4.1 (ख) (x)	वेतनमान
बजट	अध्याय II, 4.1 (ख) (xi)	बजट
सब्सिडी	अध्याय II, 4.1 (ख) (xii)	लागू नहीं
रियायतें, परमिट, प्राधिकरण	अध्याय II, 4.1 (ख) (xiii)	लागू नहीं
इलेक्ट्रॉनिक जानकारी	अध्याय II, 4.1 (ख) (xiv)	अधिकांश जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है और अनुरोध किया जा सकता है
सुविधाएं	अध्याय II, 4.1 (ख) (xv)	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस)
जन सूचना अधिकारी	अध्याय II, 4.1 (ख) (xvi)	जन सूचना अधिकारी, वेतन और लेखा अधिकारी

